प्रेस नोट **दिनांक 09.03.2026**

अंजान व्यक्ति द्वारा दोस्त बनकर मदद के नाम पर फ्राड की गयी 10,000/- रु0 कुल धनराशि (दस हजार) रुपये थाना दक्षिण टोला साइबर पुलिस टीम द्वारा वापस कराया गया–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में साइबर अपराध के माध्यम से आंनलाइन ठगी गयी धनराशि वापस दिलाने व साइबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में थाना दक्षिण टोला पुलिस टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुए अंजान व्यक्ति द्वारा दोस्त बनकर मदद के नाम पर फ्राड की गयी 10,000/- रु0 कुल धनराशि (दस हजार रुपये), पीडित बृजेश कुमार यादव निवासी हकीकतपुरा थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ । आवेदिक की कुल धनराशि 10,000 रुपये की सम्पूर्ण धनराशि अथक प्रयास कर उनके खाते में वापस कराया गया। आवेदक द्वारा उच्चाधिकारियों व थाना दक्षिण टोला के अधिकारी/कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। साइबर अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरुक रहकर ही साइबर अपराध से बचा जा सकता है।

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष बसन्त लाल
2. उ0नि0 हरिकेश यादव
3. क0ऑ0 नवनीत पाण्डेय
4. म0का0 स्वाति चौबे

डकैती में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री किश राजपूत के कुशल निर्देशन में दिनांक 09.03.2026 को थाना दक्षिण टोला पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व जरिये मुखबिर की सूचना पर बरलाई मोड़ के पास से मु0अ0सं0 11/2026 धारा 310(2), 317(3), 61(2) बी0एन0एस0 में वांछित अभियुक्त 1. अमरजीत यादव पुत्र मुन्ना लाल यादव सा0 बेलखरा थाना टिकैतनगर जनपद बाराबंकी उम्र 20 वर्ष को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया

घटना का संक्षिप्त विवरण – उल्लेखनीय है कि आजमी हास्पिटल हकीकतपुरा थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ में दिनांक 23.01.2026 की रात्रि में 04 डायलसिस मशीनो को डकैती करके लूट की घटना के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 11/2026 धारा 310(2)/317(3)/61(2) बी0एन0एस0 पंजीकृत है, जिसमें पूर्व में 06 अभियुक्त गिरफ्तार किये जा चुके है। घटना के बाद से ही शेष प्रकाश में आये अभियुक्त गिरफ्तारी के डर से फरार चल रहे थे तथा पुलिस टीम द्वारा लगातार दबिश दी जा रही थी। आज मुखबिर खास की सूचना क आधार पर पुलिस टीम

द्वारा घेराबन्दी कर बरलाई मोड़ के पास से वांछित सातवें अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया जिसे रिमाण्ड हेतु माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अभियोग में अभी तक सभी अभियुक्तो को गिरफ्तार किया गया है, किसी भी अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष हाजिर होने का मौका नही दिया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

1. अमरजीत यादव पुत्र मुन्ना लाल यादव सा0 बेलखरा थाना टिकैतनगर जनपद बाराबंकी उम्र करीब 20 वर्ष

पंजीकृत अभियोग

1. मु.अ.सं. 0011/2026 धारा 310(2)/317(3)/61(2) बी0एन0एस0 थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. थानाध्यक्ष बसन्त लाल थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ
2. का0 राघवेन्द्र प्रताप थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ
3. का0 अरविन्द सोनकर थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ

02 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाय जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण में विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व मुखबिर की सूचना पर दिनांक 09.03.2026 को थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्तगण गंगाधर पुत्र स्व0 सलाम निवासी खैराबाद 2. पंचम यादव पुत्र शेषनाथ यादव निवासी अन्नूपार थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मुहम्मदाबाद श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय के कुशल निर्देशन में दिनांक 09.03.2026 को थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व जरिये मुखबिर की सूचना पर बलीदपुर मोड़ के पास स मु0अ0स036/2026 धारा 124(2) वीएनएस में वांछित अभियुक्त सुधीर बर्मा पुत्र विजय शंकर बर्मा निवासी बलीदपुर बड़ी बाजार थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

अभियुक्त का विवरण –

1. सुधीर बर्मा पुत्र विजय शंकर बर्मा निवासी बलीदपुर बड़ी बाजार थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ

पंजीकृत अभियोंग-

1. मु0अ0स036/2026 धारा 124(2) वीएनएस

गिरफ्तारकर्ता-

1. उ0नि0 नूर आलम थाना मुहम्मदाबाद
2. हे0का0 सुनील कुमार गौतम थाना मुहम्मदाबाद

वध हेतु जा रहे 02 राशि गोवंश व 01 अदद पिकअप, साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्वेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्री कृष राजपूत के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 08.03.2026 को थाना सरायलखन्सी पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के कन्धेरी चौराहा से वध हेतु ले जाते हुए गौवंश से लदी एक अदद पिकअप बरामद किया गया तथा 01 नफर गौ तस्कर क्रमशः 1. छोटेलाल पुत्र रामअवतार निवासी ग्राम देवीपुर थाना कमलापुर जनपद सीतापुर को दिनांक 08.03.2026 को समय करीब 15.05 बजे को गिरफ्तार किया गया ,गिरफ्तार शुदा अभियुक्तगण को नियमानुसार मा0न्यायालय/न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0 87/26 धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधिनियम थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।

नाम पता अभियुक्त-

1. छोटेलाल पुत्र रामअवतार निवासी ग्राम देवीपुर थाना कमलापुर जनपद सीतापुर

बरामदगी का विवरण

1. 02 राशि गौवंश
2. 01 अदद पिकअप नं0 UP32ZN1917

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 शिवपती दूबे
2. का0 अखिलेश यादव
3. का0 रोहित सिंह